



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

मामले अंतर्गत अनुच्छेद 227 संख्या - 3323 सन 2026

कुसुम दुबे

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

नायब तहसीलदार, गोसाईगंज, तहसील सदर, अयोध्या
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : गंगा प्रसाद मिश्रा, अभिनव मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद क्रमर हसन रिज़वी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.पी. मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री योगेश अवस्थी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान याचिका, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् नायब तहसीलदार, गोसाईगंज, तहसील सदर, जनपद अयोध्या को निर्देशित किया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209(जा) के अंतर्गत लंबित वाद संख्या 11413 / 2023 में (कुसुम दुबे बनाम राम बुजारत) नामांतरण कार्यवाही के साथ-साथ रिकॉल आवेदनों का भी इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निर्णय करें, जैसा कि इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2 में निहित है।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत वाद की कार्यवाही दिनांक 07.06.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी और उक्त कार्यवाही की पुनर्स्थापना के लिए याचिकाकर्ता ने पुनर्स्थापना हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पुनर्स्थापना आवेदन भी दिनांक 07.06.2024 को खारिज कर दिया गया, तत्पश्चात दिनांक 07.06.2024 के आदेश को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन संख्या 11742 / 2023 दाखिल किया और वही वर्ष 2023 से लंबित है।

4. राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रस्तर 479 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"निस्तारण में विलंब का कारण- यदि किसी कार्यवाही को समाप्त करने की अवधि संहिता या नियमों में निर्धारित नहीं की गई है; तो न्यायालय कार्यवाही को नब्बे दिनों की अवधि के भीतर समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उपर्युक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसके कारण को अभिलिखित किया जाएगा।"

5. उपर्युक्त प्रावधान का सरल पठन यह स्पष्ट करता है कि विधायिका का स्पष्ट और निर्विवाद आशय यह है कि कार्यवाहियों को निर्धारित समयावधि के भीतर समाप्त किया जाना आवश्यक है और विलंब की स्थिति में, संबंधित प्राधिकारी उस विलंब के कारणों को अभिलिखित करने के लिए बाध्य है।

6. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि इस न्यायालय द्वारा मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के भीतर निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस की तामील से छूट दी जाती है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह न्यायालय वर्तमान याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् नायब तहसीलदार, गोसाईगंज, तहसील सदर, जिला अयोध्या, धारा 209(जा) के अंतर्गत कार्यवाही (कुसुम दुबे बनाम राम बुजहरत), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन, उपर्युक्त उल्लिखित रिकॉल आवेदनों के साथ; लंबित वाद संख्या 11413 सन् 2023 में, विधि के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, गुण-दोष के आधार पर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा, प्रमाणित प्रति इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से और अधिमानतः निस्तारित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए और यदि स्थगन के लिए प्रार्थना की जाती है, तो उसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रदान किया जाना अनुमन्य होगा।

10. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जून 3, 2026

अरुण

[न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।